

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अल्मोड़ा, महोदय से विचार-विमर्श एवं उनकी सहमति उपरान्त मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, की अनुपस्थिति में, उनके पद का बेल-रिमाण्ड एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य, सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट सम्पादित करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके पद का बेल-रिमाण्ड एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य, सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, सम्पादित करेंगे। उक्त दोनों न्यायिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति में उपरोक्त न्यायालय के बेल-रिमाण्ड एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

दिनांक- 18.12.2017

(मन मोहन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ।
2. सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
3. सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट।
4. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. बार एसोसिएशन, रानीखेत।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला जजी अल्मोड़ा।

दिनांक- 18.12.2017

(मन मोहन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।